

प्रति उपलब्ध प्रति वर्षीय  
प्रति वर्षीय राशि

DW-17/8958  
27/3/2017

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर

क्रमांक: प.8(ग)( )नियम / डीएलबी / 15 / 6839

दिनांक 14/3/17

### आदेश

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 107 (4) के अन्तर्गत राज्य सरकार बकाया नगरीय विकास कर जमा कराने पर देय शास्ति व व्याज में 100 प्रतिशत छूट तथा राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन)नियम 1974 के नियम 32 के अन्तर्गत समस्त नगर निकाय क्षेत्रों में स्थित भूखण्ड/भवनों की बकाया लीज राशि ( Lease Amount) एक मुश्त जमा कराये जाने पर देय व्याज में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है। इस छूट का लाभ दिनांक 01.04.2017 से 30 सितम्बर, 2017 तक प्रभावी रहेगा।

 यह आदेश वित्त (राजस्व)विभाग की आई.डी.स. 101700937 दिनांक 08.03.2017 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसारण में जारी किया जाता है।

  
२३/३



(पद्म अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:— प.8(ग)(327)नियम / एलएसजी / 15 / 6840 - 7305

दिनांक:— 14/3/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

- प्रमुख शासन सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
- निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
- सम्मानीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर समस्त, राजस्थान।
- महापौर / सभापति / अध्यक्ष / आयुक्त / अधिशासी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिकाए समस्त राजस्थान।
- महालेखाकार राजस्थान जयपुर।
- निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उपनिदेशक (क्षेत्रीय) समस्त राजस्थान।
- नोडल अधिकारी मॉनेटरिंग सेल / सीएमएआर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
- जनसम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु।
- अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज० जयपुर की आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
- सुरक्षित पत्रावली।

  
(अशोक कुमार सिंह)  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी